

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ०प्र० लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक 26 जुलाई, 2016

विषय:- समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० द्वारा संचालित परीक्षा पूर्व कोचिंग केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की पारिवारिक वार्षिक आय सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,
सपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्र संख्या-676/स०क०/2016-17, दिनांक-18.07.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा केन्द्र सरकार की माता-पिता/अभिभावक की वर्तमान में निर्धारित वार्षिक पारिवारिक आय सीमा धनराशि रूपया-1.00 लाख से बढ़ाकर रूपया-6.00 लाख वार्षिक किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग की योजना हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के माता-पिता/अभिभावक की वर्तमान में निर्धारित समस्त स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय सीमा धनराशि रूपया-1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) से बढ़ाकर रूपया-6,00,000/- (रुपये छः लाख मात्र) वार्षिक किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,

(विजय प्रसाद त्रिपाठी)

अनुसचिव

निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

पत्र सं० 211-792/स०क०/विकास/कोचिंग-विविध-III/2016-17

लखनऊ दिनांक 19 अगस्त, 2016

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त उप निदेशक, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश।

- 2- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- प्रशासनिक अधिकारी, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन गोमर्त, अगर लखनऊ।
4- प्रशासनिक अधिकारी, आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र (बालिका) अलीगंज लखनऊ।
5- प्रशासनिक अधिकारी, न्यायिक सेवा प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद।
6- प्रशासनिक अधिकारी, सन्त रविदास आई०ए०एस०, पी०सी०एस० पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र वाराणसी।
7- प्रशासनिक अधिकारी, डा० बी०आर०अम्बेडकर आई०ए०एस०, पी०सी०एस० पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र अलीगढ़।
8- प्रशासनिक अधिकारी, डा० बी०आर०अम्बेडकर आई०ए०एस०, पी०सी०एस० पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र आगरा।
9- प्रशासनिक अधिकारी, आई०ए०एस०, पी०सी०एस० पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र निजामपुर हापुड़।


(जे०राम)
उप निदेशक,
कृते निदेशक।